बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 से नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम् श्रेणी में उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनकी वार्षिक परिवारिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से एक मुश्त प्रोत्साहन राशि की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़) की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। साथ हीं वित्तीय वर्ष 2015–16 से "विद्यालय छात्रवृत्ति योजना" के तहत् पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के वैसे परिवारों के छात्रों, जो बिहार राज्य के निवासी हैं एवं सरकारी विद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत हैं उनके अभिभावक का वार्षिक आयसीमा रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को **मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** के तहत् वैसे छात्र/छात्राओं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम् श्रेणी में 10वीं की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होते है उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु मेधावृत्ति के रूप में रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) एक मुश्त दी जाती है। साथ ही पिछड़ा वर्ग के (अनुसूची–2) के छात्राओं को भी यह सुविधा दी जाती है। परन्तु पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के छात्रों को यह सुविधा नही दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में 10वीं की परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवारों के छात्रों, जिनके अभिभावक का वार्षिक पारिवारिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से एकमुश्त प्रोत्साहन राशि की योजना की स्वीकृति के साथ–साथ इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़) की स्वीकृति एवं व्यय का निर्णय लिया गया है।

साथ ही वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को तथा पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को सरकारी विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बिना पारिवारिक आय सीमा के छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। साथ ही पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्रों जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से कम है को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से "विद्यालय छात्रवृत्ति योजना" के तहत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के वैसे परिवारों के छात्रों, जो बिहार राज्य के निवासी हैं एवं सरकारी विद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत हैं उनके अभिभावक का वार्षिक आय सीमा रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

2–इस संबंध में योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव।

Sanlekh(Harry)

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-1-15

प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / प्रमण्डलीय आयुक्त / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपविकास आयुक्त / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना / सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना / सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, कल्याण / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी / सभी उपकोषागार पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / मु0मेधा0–40–07 / 2015– 1171 पटना, दिनांक– 15-5-15

प्रतिलिपि– माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।